Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर./4405/2003/हनुमानगढ

1. रामसिंह पुत्र श्री रुपराम, जाति जाट, निवासी भीरानी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ।
2. कौशल्या बेवा सूबे सिंह, जाति जाट, निवासी भीरानी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ।
3. सुनील पुत्र सुबे सिंह } नाबा0जरिये बली कुदरती माता कौशल्या बेवा सुबेसिंह
4. मंजू पुत्री सुबेसिंह } जाति जाट, नि0भीरानी, तह0भादरा, जिला हनुमानगढ

-- अपीलाण्ट

बनाम

1- जय सिंह पुत्र शेर सिंह, जाति जाट, निवासी गढी छानी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ
2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भादरा, जिला हनुमानगढ।

-- रैस्पोण्डेण्ट

एकल-पीठ
श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थिति :-
(1) श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अभिभाषक अपीलार्थी
(2) श्री मनीष पाण्ड्या, अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः 24-05-2018

हस्तगत द्वितीय अपील धारा 76, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) के तहत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रकरण संख्या 51/95/75 अनुवानी रामसिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 23-02-2001 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी, नोहर ने रैस्पो0 संख्या-1 जयसिंह के पक्ष में चक नम्बर 8 जे0एस0एल0 के मु0 नम्बर 29 के कि0नं0 18, 19, 20, 21 ता 24 की कुल रकबा 6-02 बीघा भूमि निर्धारित दर रुपये 262.50 प्रति बीघा की दर से स्थाई आवंटन करने का आदेश दिनांक 2-7-1994 को पारित किया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थीगण रामसिंह वगैरा की ओर से धारा 96, सिविल प्रक्रिया संहिता के आवेदन के साथ, अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के न्यायालय में

प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ ने निर्णय दिनांक 23-02-2001 से अपील मियाद बाहर होने से तथा सारहीन होने से खारिज की है। इस निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील है।

3 - अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस अपील पर सुनी गई ।

4- अपीलार्थी के योग्य अभिभाषकगण ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस में दोहराते हुये कथन किया कि आवंटन आदेश दिनांक 2-7-1994 विधि विपरीत तथा वादग्रस्त आराजी की भौतिक स्थिति के विपरीत जाते हुये जारी किया गया है। प्रश्नगत भूमि प्रारम्भ से ही अपीलार्थी के कब्जे काश्त में रही है और समय समय पर धारा 91, भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही होती रही है। प्रश्नगत भूमि सामान्य आवंटन के तहत आवंटन की गई है किन्तु इसके लिए किसी प्रकार की विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। रैस्पो0 संख्या-1 के आवंटन को स्माल पेच के तहत आवंटन मानें तो उक्त नियमों के नियम 17-ए के अनुसार रैस्पो0 आवंटन का पात्र नहीं है क्योंकि रैस्पो0 की उस भूमि या चक के आस पास कोई भूमि पहले से नहीं रही है, जब कि अपीलाण्ट की भूमि मु0 नम्बर 30 की आराजी खसरा नम्बरान 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 स्थित है। इस प्रकार प्रश्नगत आवंटित आराजी से चिपकी हुई अपीलार्थी की भूमि होने से, अपीलार्थी के पक्ष में भूमि को आवंटन किया जाना चाहिए था ना कि रैस्पो0 संख्या-1 के पक्ष में। किन्तु आवंटन से पूर्व नियमों की अनुपालना नहीं की गई है और आवंटित भूमि के आस पास के खातेदारान को सूचना नहीं दी गई है। अपील पेश करने में हुई देरी के कारणों को स्पष्ट करने के लिये व अपील करने में हुई देरी को क्षमा किये जाने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। देरी के कारण संतोष प्रद व औचित्य पूर्ण रहे हैं, किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने एक तरफ तो अपील को अविधिक रुप से मियाद सीमा के बाहर माना है और दूसरी तरफ अपील में गुणावगुण पर परीक्षण किया गया है, जो कि निर्णय अपने आप में ही विरोधाभाषी है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने तथा अपील स्वीकार कर आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने जाने का निवेदन किया।

5- रैस्पो0 के योग्य अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि प्रश्नगत भूमि प्रारम्भ से ही मौके पर खाली भूमि रही है और पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि प्रार्थी के परिवार में पटवार मण्डल, सागडा में कोई भूमि नहीं है और प्रश्नगत खसरा नम्बरान मौके पर खाली हैं । अतः अपीलार्थी का ये कथन उपयुक्त व सही नहीं है कि प्रश्नगत भूमि पर उसका किसी प्रकार का कब्जा काश्त है। विधिक परीक्षण व पात्रता जॉच करने के उपरान्त ही प्रार्थी-रैस्पो0 के पक्ष में आवंटन किया गया है। अपीलार्थी किसी प्रकार से व्यथित पक्षकार नहीं है, अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष धारा 96, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत किया गया उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के

समक्ष अपील मियाद समय सीमा के बाहर प्रस्तुत की गई है और देरी के कारण न्यायोचित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मियाद के आधार पर खारिज किया है। मण्डल के समक्ष भी यह अपील निर्णय दिनांक 23-3-2001 के विरुद्ध असाधारण देरी से दिनांक 6-1-2003 को प्रस्तुत की गई जो कि स्पष्ट रुप से मियाद समय सीमा के बाहर है। अतः अपील मियाद समय सीमा के बाहर होने से व अपीलार्थी व्यथित पक्षकार नहीं होने से खारिज की जावे।

6- योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने जबाबुल जबाव में धारा 5 की आपत्ति में कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के बाद प्रार्थी बीमार हो गया और दिमागी तौर पर पूर्णतया असमर्थ हो गया और सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई थी। इसके समर्थन में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र व आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि क्योंकि आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुये आवंटन किया गया है, अतः जहॉ प्रकरण में सार हो वहॉ मियाद को बिन्दु मायने नहीं रखता है, अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार कर प्रकरण को गुणावगुण पर तय किया जाये।

7- अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया।

8- पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि आवंटन आदेश दिनांक 2-7-1994 में अपीलार्थी पक्षकार नहीं था और ना ही अपीलार्थी के ज्ञान में उक्त आदेश होना रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र धारा 96, सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र दफा-5, भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। आदेश दिनांक 2-7-1994 में अपीलार्थी पक्षकार नहीं होने से, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5, भारतीय मियाद अधिनियम के तथ्यों को सत्य होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है और प्रकरण में गुणावगुण पर परीक्षण आवश्यक पाया जाता है। इसके अलावा ये भी सुस्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमियां आवंटित भूमियों के समीप स्थित हैं और प्रार्थी के विरुद्ध आवंटित भूमियों के बाबत् धारा 91 का नोटिस भी दिया गया है, अतः प्रार्थी प्रकरण में व्यथित पक्षकार होने से, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र धारा 96, सिविल प्रक्रिया संहिता एवं प्रार्थना पत्र दफा-5, भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाते हैं।

9- मण्डल के समक्ष यह अपील आदेश दिनांक 23-2-2001 के विरुद्ध दिनांक 06-01-2003 को प्रस्तुत की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु प्रार्थी द्वारा स्वयं का स्वास्थ्य सही नहीं रहना और दिमागी तौर पर पूर्णतया असमर्थ होना बताया गया है तथा इसके साथ में चिकित्सा द्वारा किए गए उपचार की पर्ची की प्रतियां

भी प्रस्तुत की गई हैं। जैसा कि प्रकरण में पाया गया है कि प्रार्थी व्यथित पक्षकार है और आदेश दिनांक 2-7-1994 में आवंटन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। जहॉ प्रकरण में सार हो वहॉ मियाद जैसा बिन्दु आडे नहीं आना चाहिए। जहॉ प्रकरण में सार हो वहॉ प्रकरण को मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर निस्तारित करने की बजाये गुणावगुण पर देखा जाना चाहिए जैसा कि न्याय दृष्टान्त आर. आर.डी. 1998 पेज 319 में माननीय उच्च न्यायलाय ने मत प्रतिपादित किया है। इसी प्रकार से आर.आर.टी. 2002(1) पेज 53 तथा आर.बी.जे. (23) 2016 पेज 678 के अनुसार प्रकरण में मियाद के बिन्दु को कंडोन किया जा कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। अतः मण्डल के स्तर पर अपील में प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र धारा 5, मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

10- पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में चक नम्बर 8 जे0एस0एल0 के मु0 नम्बर 29 के कि0नं0 18, 19, 20, 21 ता 24 की कुल रकबा 6-02 बीघा भूमि का कीमतन आवंटन राजस्थान उप निवेशन अधिनियम, 1954 के तहत बने नियम, राजस्थान उप निवेशन (भाखरा परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का स्थाई आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1955 के तहत अपीलार्थी के पक्ष में किया गया है। इन नियमों के नियम 13 के तहत आवंटन के लिए पात्रता निर्धारित है और नियम 17-क के तहत छोटे टुकडे के आवंटन के सम्बन्ध में प्रावधित किया गया है। नियम 17-क के प्रावधान इस प्रकार से हैं :-

> 17-A (1) Notwithstanding anything to the contrary in the rules, small patches of land [upto five bighas or irrigated land or ten bighas of un irrigated land] may be sold to] a person in the following priority, namely :-
>
> (i) to a person holding land in the same square
> (ii) to a person holding adjoining land
> (iii) to a person holding land in the adjoining chaks, if the person so prefered] is prepared to pay [hald of the index price or reserve price, whichever is higher] of the land in four] equated annual linstalments, if any instalments is not paid up by the due date, interest shall be charge thereon @ 12% per annum]
>
> Provided that the total land already in the possession of such person plus the small patch proposed to be allotted shall not be in excess of the land ceiling limit :
>
> [Provided further that if there are more than one such person in a category who want the same small patch, it shall be put to auction amongst the persons of the same category and given to the highest bidder,]

11– प्रस्तुत प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में पाया जाता है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् .....अपठित मु0 नम्बर 30 की आराजी खसरा नम्बरान 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 अपीलार्थी रुपराम बल्द बेगराज की खातेदारी में अंकित है, इससे इस तथ्य की बखूबी पुष्टि होती है कि आवंटित आराजीयात अपीलार्थी की खातेदारी की आराजी से चिपकी हुई है। नकल नक्शा चक 8 जे0एस0एल0 को जो प्रस्तुत किया है उसमें प्रश्नगत आवंटित आराजी का पडौसी रुपाराम को होना दर्शाया गया है। इसके अलावा ये भी पाया जाता है कि नायब तहसीलदार, नोहर द्वारा दिनांक 30–4–1981 को रुपराम को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रश्नगत आवंटितम आराजी मु0 नम्बर 29 के कि0नं0 18, 19, 20, 21 ता 24 कुल रकबा 6 बीघा पर अतिचार के लिए नोटिस जारी किया गया है। इससे इस तथ्य की प्रथम दृष्ट्या पुष्टि होती है कि अपीलार्थी प्रकरण में व्यथित पक्षकार है और आवंटन कार्यवाही आवंटन नियमों के तहत की जानी चाहिए थी ताकि अपीलार्थी भी प्रश्नगत भूमि के आवंटन के लिए आवेदन कर सकता। इसके विपरीत मुताबिक आवंटन आवेदन पत्र, आवंटी के हिस्से में चक 6 जे0एस0एल0 एवं चक 4 जे0एस0एल0 की भूमि कुल रकबा 2 बीघा आना अंकित किया गया है, इस प्रकार पत्रावली पर इस आशय की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि आवंटित भूमि के आस पास या उसी चक में आवंटी की कोई अन्य भूमि रही है या नहीं, जो कि आवंटन नियमों के तहत प्राथमिक तय करने के लिए आवश्यक था। इस प्रकार से आवंटन कार्यवाही करते समय राजस्थान उप निवेशन (भाखरा परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का स्थाई आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1955 के नियम 13 और नियम 17–क के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है। उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार आवंटन के लिए निर्धारित भूमि के आवंटन की तारीखें तय करना, नियम 6 के अनुसार, नियम 5 के अधीन तय की गई तारीखों का सार्वजनिक नोटिस जारी करना होता है। वर्तमान प्रकरण में कहीं यह पुष्ट नहीं होता है कि उक्त नियम संख्या 5 व 6 की किसी प्रकार की अनुपालना सुनिश्चत की गई हो। इसी प्रकार से नियम 17–क के प्रावधानों के अनुसार निकटस्थ भूमि धारण करने वाले व्यक्ति, उसी स्क्वायर में भूमि धारण करने वाले व्यक्ति, उसी चक में भूमि धारण करने वाले व्यक्ति, निकटस्थ चक में भूमि धारण करने वाले व्यक्ति आदि के बारे में निर्धारण नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में समग्र रुप से परीक्षण उपरान्त हमारा मत है कि उपखण्ड अधिकारी, नोहर द्वारा आदेश दिनांक 2–7–1994 पारित करने से पूर्व राजस्थान उप निवेशन (भाखरा परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का स्थाई आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1955 के नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रकरण में वास्तविक तथ्यों की अनदेखी करते हुये आक्षेपित अपीलीधीन निर्णय पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय में तथ्यों व कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं किए जाने से हस्तगत द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप आवश्यक प्रतीत होता है।

12– फलतः अपील अपीलार्थी आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक

23-02-2001 तथा उपखण्ड अधिकारी, नोहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2-7-1994 निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नोहर को प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान उप निवेशन (भाखरा परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का स्थाई आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1955 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये पुनः नये सिरे से नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य